श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–11.02.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
2. श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग।
3. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री मिथिलेश कुमार, सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर।
6. श्री नरेश कुमार चौहान, सहायक निदेशक (युवा) खेल विभाग।
7. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा) खेल विभाग।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव द्वारा सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर से राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तदोपरान्त निम्न कार्यवाही अभिलिखित की गई।

1. अकादमी में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि लेखा अधिकारी एवं लेखापाल तथा अन्य कर्मी के नहीं होने के कारण कार्य ससमय निष्पादन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

सचिव द्वारा अकादमी कार्यालय, राजगीर को सुचारू रूप से संचालन हेतु अकादमी में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से पॉच लिपिकों की प्रतिनियुक्त करने तथा एक लेखा अधिकारी एवं एक लेखापाल की प्रतिनियुक्ति हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना को प्रत्येक सप्ताह स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

2. संवर्ग नियमावली का गठन

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर के द्वारा सूचित किया गया की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली एवं लिपिकीय संवर्ग नियमावली का गठन कर लिया गया है। सांइन्टीफिक ऑफिसर, लाईब्ररियन एवं संग्रहालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुरोध किया जाना है।

उपर्युक्त के संबंध में बताया गया कि क्रीड़ा प्रशिक्षक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का चयन हेतु विज्ञापन हो गया है। सांइन्टीफिक ऑफिसर के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली से एवं संग्रहालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति हेतु कला एवं संस्कृति विभाग,

11.2.26

बिहार, पटना से पत्राचार पूर्व में किया जा चुका है। प्रत्येक सप्ताह स्मार पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

3. **खिलाड़ियों की आवश्यकताएं**

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी द्वारा बताया गया कि अकादमी में अवस्थित अस्पताल में एक स्पोर्टस मेडिसिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, फिजियोथेरेपी उपकरण, क्रय एवं अधिष्ठापन तथा अकादमी के पदाधिकारियों एवं खिलाड़ियों के सुविधा हेतु वाहन, 01 एम्बुलेंन्स एवं 02 बैटरी संचालित वूडकार्ट का क्रय करने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि एक स्पोर्टस मेडिसिन चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति, फिजियोथेरेपी की प्रतिनियुक्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया जाय तथा वाहन आदि क्रय से संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाय।

4. **वाई–फाई सुविधा की उपलब्धता**

इन्टरनेट की सुविधा वाई–फाई के अधिष्ठापन के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया है कि अकादमी के पूरे परिसर (क्रिकेट स्टेडियम को छोड़कर) में वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विज्ञापन के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर एजेंसी का चयन कर लिया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि चयनित एजेंसी द्वारा अकादमी में वाई–फाई अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त कार्य हेतु विभाग द्वारा 4,78,19,176/– (चार करोड़ अठहत्तर लाख उन्नीस हजार एक सौ छहत्तर रूपये मात्र) का स्वीकृत्यादेश प्राप्त हो चुका है।

उपर्युक्त कार्यों का अनुश्रवण करते रहने का निदेश सहायक निदेशक को दिया गया।

5. **खेल अकादमी के अवसंरचनाओं के आरक्षण का दर निर्धारण**

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी के द्वारा बताया गया कि खेल अकादमी स्थित विभिन्न खेल मैदानों, अवसंरचनाओं एवं अन्य परिसरों के आरक्षण हेतु शुल्क का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को निदेश दिया गया है कि इस संबंध में उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना से विमर्श कर खेल अवसंरचनाओं के निर्धारित दरों का विश्लेषित प्रस्ताव विभाग को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

6. **राज्य खेल अकादमी का Land of Agreement**

राज्य खेल अकादमी में **20 KL DG HSD YARD** के अधिष्ठापन हेतु **Land of Agreement** की प्रतिलिपि भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु विभाग स्तर पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी, राजगीर से समन्वय स्थापित कर दाखिल–खारिज का कार्य शीघ्र पूर्ण करायी जाय।

7. **राज्य खेल अकादमी में खेल विज्ञान अनुसंधान उपकरण अधिष्ठापन**

सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी के द्वारा बताया गया कि खेल अकादमी में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन में सहयोग एवं प्रतिभा खोज कार्य हेतु खेल विज्ञान अनुसंधान उपकरणों के क्रय की आवश्यकता है। उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु प्रशासनिक भवन में समुचित संख्या में हॉल एवं कमरों की उपलब्धता है।

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को निदेश दिया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्राप्त कर शीघ्र ही उपकरणों का क्रय किया जाय।

8. **राज्य खेल अकादमी हेतु वाहन क्रय के संबंध में**

वाहन क्रय हेतु विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया कि निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर के प्रयोगार्थ वाहन क्रय कर संबंधित एजेंसी को राशि की भुगतान की जा चुकी है।

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि अकादमी के खिलाड़ियों के सुविधा कराने के लिए सहायक निदेशक द्वारा वाहन क्रय किये जाने के संबंध में प्रशासी पदवर्ग समिति से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में सचिव द्वारा संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशासी पदवर्ग समिति से वाहन क्रय करने संबंधित आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

9. **विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु राशि का आवंटन**

राज्य खेल अकादमी, राजगीर के सुगम संचालन हेतु खर्च किए गये विद्युत के विरूद्ध में कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल नालंदा के द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्युत विपत्र को पारित करते हुए विभाग को ₹ 2.2 cr. (दो करोड़ बीस लाख) रूपये

मात्र का विपत्र भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि अगली बैठक के पूर्व बैठकों का अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

अगली बैठक दिनांक–25.02.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 10:00 बजे निर्धारित की जाती है।

12/2/2026

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक–666

पटना, दिनांक–12.2/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/ निदेशक, खेल विभाग/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, खेल विभाग/सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सहायक निदेशक (युवा)/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–05), खेल विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

11.2.26

12/2/2026

सचिव।